15-3/154

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 14/2012–13

सामुएल टुडू एवं अन्य .....अपीलकर्त्ता

बनाम

चंदन मुर्मू .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

16/02/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 14/2012–13 सामुएल टुडू एवं अन्य बनाम् चंदन मुर्मू, मौजा रांगा थाना जामा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 82/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2012 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता का कहना है कि उत्तरकारी के पिता के नियुक्ति को उपायुक्त, दुमका द्वारा रे0मि0 अपील वाद सं0 197/1988–89 पारित आदेश को निरस्त किया गया है। इसके विरूद्ध में दायर अपील रे0मि0 अपील वाद सं0 120/1998–99 माननीय आयुक्त, सं0प0 प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में लंबित है। इसके बाबजूद भी उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया जो न्यायसंगत नहीं है।

उन्होंने आगे कहा है कि वह अंतिम प्रधान के वारिशान है। इसलिए उनपर विचार धारा 06 के अन्तर्गत होना चाहिए। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा का खतियानी (रेकोडेड) प्रधान सोबना टुडू की मृत्यु 70 वर्ष पूर्व हो जाने के कारण मौजा खास हो गया था। उनकी बर्खास्तगी हुई थी अथवा नावल्द मृत्यु हो गयी, इसका कारण पता नहीं है। उत्तरकारी के पिता जुनस मुर्मू को मौजा का प्रधान धारा 05 के अन्तर्गत वर्ष 1984 में नियुक्त किया गया था। इसलिये उत्तरकारी चंदन मुर्मू का दावा उनके पिता जुनस मुर्मू के स्थान पर धारा 06 के अन्तर्गत बनता है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवालोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी के पिता को मौजा का प्रधान सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति आदेश को उपायुक्त द्वारा विलोपित किया गया है एवं इस आदेश के विरूद्ध में माननीय आयुक्त, सं0प0 प्रमंडल, दुमका के न्यायायल में लंबित रहते ही उत्तरकारी के पिता की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात उत्तराधिकारी को मौजा का प्रधान धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। अपीलकर्त्ता का दावा खतियानी प्रधान के

आधार पर है जबकि उत्तरकारी का दावा अंतिम प्रधान के आधार पर है। किन्तु अंतिम नियुक्त प्रधान उत्तरकारी के पिता जुनुस मुर्मू की नियुक्ति को भी तत्कालीन उपायुक्त ने रे0मि0 अपील वाद सं0 197/1988–89 में आदेश दिनांक 25.06.1998 द्वारा निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में उत्तरकारी को मौजा का प्रधान सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि मौजा की प्रधान की नियुक्ति धारा 05 के अन्तर्गत नियमानुसार की जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।